अवैध होर्डिग से कमायी का सफाया

पटना, जागरण संवाददाता : राजधानी में अवैध होर्डिग से विज्ञापन कंपनियों ने खूब कमाई की है। सक्षम प्राधिकार से बिना अनापत्ति के सड़कों के किनारे यूनीपोल, होर्डिग और बिजली खंभों और भवनों पर विज्ञापन कंपनियों का कब्जा हो गया है। अब नगर आयुक्त ने अवैध होर्डिगों के सफाये के लिए कार्ययोजना तैयार की है। सात दिनों में अवैध विज्ञापन साइट नहीं हटी तो निगम इन्हें काट कर हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा। नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन कंपनियों ने एक ही स्थल के आवंटन पर कई जगहों पर यूनीपोल, होर्डिग और बिजली खंभे पर विज्ञापन लगे रखे हैं। नगर निगम बोर्ड ने अवैध होर्डिग को हटाने और हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित दर पर शुल्क वसूली का निर्णय ले चुका है। अप्रैल 2011 से इसे लागू होना था लेकिन अवैध होर्डिग से कमाई करने वाले निगम के अफसरों ने ही अमल में नहीं लाया। इससे निगम को राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। नगर आयुक्त पंकज कुमार पाल ने पहले तो होल्डिंग टैक्स में चोरी पर नकेल कसा। आवासीय टैक्स पर व्यावसायिक उपयोग करने वाले लोगों की सूची अब वही टैक्स कलेक्टर रोजाना बना रहे हैं जो सालों से आंख मूंदे थे। अब अवैध होर्डिग से कमाई करने वालों पर कार्रवाई की बारी है। नगर आयुक्त ने विज्ञापन कंपनियों को सात दिनों में अवैध होर्डिग नहीं हटाने पर उसे हटाने की कार्रवाई के लिए कार्ययोजना तैयार किया है। क्या है विज्ञापन के नियम नगर निगम विज्ञापन एजेंसी को जगह का आवंटन अपने शर्त पर करती है। निर्धारित जगह पर पथ निर्माण विभाग, यातायात, जलापूर्ति, बिजली और पार्किंग में व्यवधान नहीं हो इसके लिए अनापत्ति संबंधित विभाग से लेना अनिवार्य है। नूतन राजधानी पथ प्रमंडल ने मोबिलिटी प्लान के निर्णय के अनुसार नगर निगम से बिना अनापत्ति वाले होर्डिग की सर्वेक्षण कर सूची सौंप चुका है लेकिन मामला दबा रह गया। नगर निगम के उप-महापौर विनय कुमार पप्पू ने कहा है कि निगम के खजाने में राजस्व आयेगा वह नागरिक सेवाओं पर ही खर्च होना है।